VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY JAUNPUR, UTTAR PRADESH

7.1.7 *The institute has friendly, barrier-free environment*

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

Invoice of tricycle for Divyangjan

TAX INVOICE

ORIGINAL- WHITE
DUPLICATE-PINK
TRIPLICATE COPY-YELLOW

आजाद साइकिल वर्क्स

मछलीशहर रोड, जौनपुर

GSTIN/UIN-09ABGPN9203M1Z8 (प्रभावी तिथि : 01-07-2017)

Contact Details : 05452-262667, 9506180849

Invoice No. 851

Invoice Date :

State : Uttar Pradesh State Code : 09

Transport Name : ....

Vehicle Number : ....

Place of Supply : ....

Date of Supply : 22 मार्च 2022

Details of Receiver / Bill to :

Name : सी० बी० के० चैरिटेबुल ट्रस्ट

Address : सोनिया बाग, वाराणसी

GSTIN ______ State ______ State Code ______ Mobile ______

No.	Product Description	HSN Code	UOM	Quantity	Rate	Amount/Taxable Value Rs. P.
1.	ट्राई साइकिल (कम्प्लीट)			1.	9000/	9000/=00

BANK DETAILS	OTHER CHARGES (if any)	9000/=00
Bank Name	NET AMOUNT	
	ADD.: CGST .... %	
A/c No.	ADD.: SGST .... %	
	ADD.: IGST	
IFSC Code:	ROUND OFF	
	TOTAL AMOUNT OF INVOICE	

Amount in Words : रुपये नौ हजार मात्र

Terms & Conditions

Subject to Jaunpur (U.P.) Jurisdiction.
Goods once sold will not be back
E. & O.E.

Certified that Particulars given above are true and correct

कृते- आजाद साइकिल वर्क्स

मिर्ज़ा मुहीम

Authorised Signatory

बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर(उ०प्र०)

Email:connectpuregistrar@gmail.com

Fax.: (05452) 252344,252244
Web: www.vbspu.ac.in

(1)

क : —1349/सा0प्रशा0/2018 दिनांक : 16.04.2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—26/सत्तर—1—2018 दिनांक—09 फरवरी, 2018 तथा अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पत्रांक—50 /रा0उ0शि0प0/ 28/18, दिनांक—15 फरवरी, 2018 तथा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—257/सत्तर—1—2018 दिनांक—06 अप्रैल, 2018 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 में विहित प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्यतम न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका संख्या—116/1898 जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य तथा जनहित याचिका संख्या—243/2005 राजीव रतूड़ी बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक—25.01.2018 तथा 15.12.2017 के अनुपालन में प्रकरण पर राज्य सरकार से स्टेटस रिर्पोट मांगी गयी है।

उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में विहित प्राविधानों के आलोक में महाविद्यालय स्तर पर दिव्यांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी हैं यथा—

1. दिव्यांगजन छात्र/छात्राओं एवं शैक्षिक कर्मियों को आने जाने के लिए रेलिंग के साथ रैम्प की व्यवस्था हो।
2. सुविधायुक्त टायलेट/कमोड की व्यवस्था हो।
3. यदि बहुमंजिला भवन हो तो लिफ्ट की व्यवस्था हो।
4. कार्यालयों में भूतल पर दिव्यांगजन को कार्य करने की व्यवस्था हो।
5. परीक्षा के दौरान भूतल पर परीक्षा देने की व्यवस्था हो।
6. ऐसी अन्य सुविधाएं जो दिव्यांगजन अधिनियम—2016 में प्राविधानित है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है और वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपनी आख्या पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे शासन को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

कुलसचिव

आ0 प्राप्त 17/4/18

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद 619 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. अशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी को सूचनार्थ।
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण परिषद, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सूचनार्थ।
6. वेबमास्टर, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव 16/04/18

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(2)

पत्रांकः डी0एस0डब्लू/93/2018–19 **शीर्ष प्राथमिकता** दिनांक : 20.04.2018

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

(1) संकायाध्यक्ष इंजिनियरिंग संस्थान।
(2) संकायाध्यक्ष फार्मेसी संस्थान।
(3) संकायाध्यक्ष प्रबन्ध अध्ययन संकाय
(4) संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय।
(5) संकायाध्यक्ष अनुप्रयुक्त मानविकी एवम् सामाजिक विज्ञान संकाय।

विषयः– **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्रविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव जी के पत्र संख्या 1349/सा0प्रशा0/2018 दिनांक 16.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है के द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में विहित प्राविधानों के आलोक में संस्था स्तर पर दिव्यांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी है यथा–

1–दिव्यांगजन छात्र/छात्राओं एवं शैक्षिक कर्मियों को आने जाने के लिए रेलिंग के साथ रैम्प की व्यवस्था हो।
2–सुविधायुक्त टायलेट/कमोड की व्यवस्था हो।
3–यदि बहुमंजिला भवन हो तो लिफ्ट की व्यवस्था हो।
4–कार्यालयों में भूतल पर दिव्यांगजन को कार्य करने की व्यवस्था हो।
5–परीक्षा के दौरान भूतल पर परीक्षा देने की व्यवस्था हो।
6–ऐसी अन्य सुविधाएं जो दिव्यांजन अधिनियम–2016 में प्राविधानित है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित है और वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपनी आख्या दो प्रतियों में पत्र प्राप्ति के 05 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कुलसचिव जी के माध्यम से शासन को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

20/04/18

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2–वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

20/4/18

20/04/18

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

20/04/18

21.4.18 20/4/18 21-4-18 21.4.18 21/4 24/04/18

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(3)

पत्रांकः डी0एस0डब्ल्यू/89/2017–18 अतिमहत्वपूर्ण दिनांक : 19.04.2018

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

(1) संकायाध्यक्ष इंजिनियरिंग संस्थान।
(2) संकायाध्यक्ष फार्मेसी संस्थान।
(3) संकायाध्यक्ष प्रबन्ध अध्ययन संकाय
(4) संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय।
(5) संकायाध्यक्ष अनुप्रयुक्त मानविकी एवम् सामाजिक विज्ञान संकाय।

विषयः– <u>राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिव्यांग छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों के अग्रसारण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूच्य है कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक/6700/दि0ज0स0/छात्रवृत्ति/2017–18 दिनांक 27 मार्च 2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक वित्तीय वर्ष 2016–17 में पोस्ट मैट्रिक में अध्ययनरत् दिव्यांग छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर से वेरिफाई नहीं किया गया है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सहा है।

अतः उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि तीन कार्य दिवस के अन्दर अपने संकाय के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों को संलग्नको सहित पुनः सत्यापित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके।

19/04/'18

(प्रो0 डॉ0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–
1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2–वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

(प्रो0 डॉ0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

Letter for providing facilities for Divyangjan

(4)

प्रबंध अध्ययन संकाय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (उ.प्र.)

Prof. (Dr.) V. D. Sharma, Dean. E-mailID: drvds@gmail.com Mob. 9919883533, Web: www.vbdspu.ac.in

दिनांकः 21/04/2018

सेवा में,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर।

विषयः– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पत्रांकः डी.एस.डब्ल्यू./93/2018–19, दिनांक 20/04/2018 के द्वारा दिव्यांगजना के अधिकारों के सम्बन्ध में विहित प्राविधानों के आलोक में संस्था स्तर पर दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु आवश्यक सुविधएं उपलब्ध किये जाने का विवरण इस प्रकार है–

1. दिव्यांगजन छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों को आने जाने के लिए आधा–अधूरा रैम्प तो बना है जिसे पूर्ण कराकर उसके साथ रेलिंग बनाये जाने की आवश्यकता है।
2. भवन बहुमंजिलां (तीन मंजिला) है जिसमें दो तरफ से चढ़ने–उतरने के लिए सीढ़ियों की पर्याप्त व्यवस्था तो है किन्तु लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है।
3. सुविधा युक्त टायलेट/कमोड की व्यवस्था भवन में उपलब्ध है।
4. कार्यालयों में भूतल पर दिव्यांगजन को कार्य करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकती है।
5. समस्त परिसर के सभी संकायों की परीक्षा एक साथ करायी जाती है। परीक्षा के दौरान भूतल पर दिव्यांगजन हेतु परीक्षा देने की व्यवस्था की जा सकती है।

अतः आपसे यह अनुरोध है कि प्रबन्ध अध्ययन संकाय के भवन में प्रवेश गेट पर बने अधूरे रैम्प को पूर्ण कराकर रेलिंग और आवश्यकतानुसार लिफ्ट की व्यवस्था यथाशीघ्र करायी जाय।

21/4

प्रो0 (डॉ0) विक्रमदेव
संकायाध्यक्ष
प्रबन्ध अध्ययन संकाय
बी.बी.एस.पू.वि.वि. जौनपुर।

प्रतिलिपि एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव कुलपति जी, मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।

प्रो0 (डॉ0) विक्रमदेव

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

contd.

विज्ञान संकाय
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय-जौनपुर।

(6)

सेवा में,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण —

आपके पत्र पत्रांक सं०-डी०एस०डब्लू/93/2018-19, दिनांक: 20.04.2018 के संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञान संकाय के अन्तर्गत आने वाले बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं पर्यावरण विज्ञान विभागों में० वर्तमान में० कोई भी दिव्यांग छात्र/छात्रा एवं कर्मचारी नहीं है। लेकिन भविष्य के लिये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुये निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

(1) रैम्प की व्यवस्था हो।

(2) कमोड की व्यवस्था हो।

(3) कार्यालयों में० कार्यरत कार्मियों को भूतल पर ही कार्य में लगाया जा

(4) छात्र/छात्राओं के लिये परीक्षा के दौरान भूतल पर ही सिटिंग लगाया जाय।

दिनांक: 23.04.2018.

Vandana Rai
23.4.18

DEAN
FACULTY OF SCIENCE
V.B.S. PURVANCHAL UNIVERSITY
JAUNPUR-222003

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

Policy document for persons with disabilities

आख्या

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पर गठित राज्य सलाहाकार बोर्ड उत्तर प्रदेश की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति दिनांक 25.03.2019 के सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न धाराओं का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया गया। अधिनियम की धाराएं जो कि विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू किया जाना है का विवरण निम्नवत है:–

1–अधिनियम की धारा–3 जो कि समानता के अधिकार से सम्बन्धित है के संदर्भ में सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय के निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि दिव्यांगजनों के साथ समानता का व्यवहार किया जाय तथा किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाय।

2–अधिनियम की धारा–4 जो कि महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित है जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को सामान्य जन की तरह उनके अधिकार प्रदान किये जाय, साथ ही साथ उनको स्वतंत्र रूप से अभिमत प्रकट करने उन्मुक्त अवसर दिया जाय।

3–अधिनियम की धारा–6 के संदर्भ में समस्त महाविद्यालय दिव्यांगजन को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार से संरक्षित करने का प्रावधान सुनिश्चित करें।

4–अधिनियम की धारा–7 के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों का दुरूपयोग, उनका मानसिक एवं शारीरिक शोषण न किया जाय, साथ ही साथ ऐसे किसी भी प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिव्यांगजनों को विधिक उपचार/सहयोग उपलब्ध करायें तथा शिक्षण संस्थाओं में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उचित, ठोस कदम उठाये जांय।

5–अधिनियम की धारा–16 के संदर्भ में सभी सम्बद्ध महाविद्यालय दिव्यांग छात्र/छात्राओं के समावेशी शिक्षा की व्यवस्था तथा बिना किसी भेदभाव के उनका इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित करेगें। शिक्षा के साथ ही साथ उनके खेल, मनोरंजन तथा रहन–सहन की भी व्यवस्था सामान्य छात्रों की तरह ही सुनिश्चित किया जाय। शैक्षिणिक संस्थानों द्वारा दिव्यांगजन में विशिष्ट अधिगम विशेषताओं की पहचान एवं तदनुक्रम में उन विशिष्ट अधिगम विशेषताओं हेतु शिक्षण विधियों को अंगीकृत किया जाय।

6–अधिनियम की धारा–17 के प्रावधानों को लागू किये जाने के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में दिव्यांग छात्र/छात्राओं में शिक्षा एवं समावेशी विकास हेतु संस्थान के शिक्षकों को दिव्यांग छात्र/छात्राओं के शिक्षण एवं विकास हेतु प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय। साथ ही साथ महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं का प्रत्येक पाँच वर्ष पर सर्वेक्षण किया जाय। ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाय तथा छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में आवश्यक संशोधन एवं समायोजन किये जाय, साथ ही साथ उन्हें निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था भी की जाय। **परीक्षाओं के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त समय प्रदान किया जाय।**

7–अधिनियम की धारा–19 के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग छात्र/छात्राओं को उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं नियोजन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बैंको से रियायती दरो पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी जाय।

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

11/07/19

.....2.....

contd.

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(20)

8–अधिनियम की धारा–20 के संदर्भ में शिक्षण संस्थाओं द्वारा कर्मचारी चयन में दिव्यांगजन से विभेद न करे। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रोन्नति से इन्कार न किया जाय।

9–अधिनियम की धारा–21 के प्राविधानों के तहत समान अवसर का सिद्धान्त लागू किया जाय।

10–अधिनियम की धारा–22 के प्राविधानों के अनुसार उनके नियुक्ति से सम्बन्धित एवं प्रदत्त सुविधाओं का रिकार्ड संरक्षित किया जाय।

11–अधिनियम की धारा–23 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु दिव्यांगजनों के शिकायत निवारण हेतु **शिकायत निवारण अधिकारी** की नियुक्ति प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में की जाय तथा उनका **पदनाम, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई0डी0** को संस्थान के सूचना पट्ट पर चस्पा किया गया तथा विश्वविद्यालय को भी अनिर्वाय रूप से अवगत कराया जाय।

12–अधिनियम की धारा–28 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए आवास एवं पुर्नवास तथा अन्य मुद्दो के लाभ के लिए जो आवश्यक हो उचित माध्यम से अनुसंधान एवं विकास के लिए **सेल** का गठन करेगी।

13–अधिनियम की धारा–29 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु दिव्यांगजनों हेतु ऐसी व्यवस्था शिक्षा संस्थाओं में की जाय जिससे वे सांस्कृतिक जीवन जीते हुए मनोरंजन के साधनों का उपयोग सामान्यजन की तरह कर सके।

14–अधिनियम की धारा–30 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु सभी खेल गतिविधियों में दिव्यांगजनों को समुचित अवसर उनके प्रतिभा के अनुरूप प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाय।

15–अधिनियम की धारा–31 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु संस्थाओं में दिव्यांग छात्र/छात्राओं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।

16–अधिनियम की धारा–32 के प्राविधानों के अनुपालन में सभी राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजन हेतु **कम से कम पाँच प्रतिशत सीट आरक्षित** की जायेगी साथ ही साथ ऐसे छात्रों को **प्रवेश हेतु उच्च आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट** भी प्रदान की जायेगी।

17–अधिनियम की धारा–33 के अनुपालन में सभी शैक्षणिक संस्थान नियुक्तिओं हेतु आरक्षण व्यवस्था के तहत पदों को चिन्हित करेगें।

18–अधिनियम की धारा–34 के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के समय **शैक्षणिक संस्था कम से कम चार प्रतिशत (सभी वर्गो) पद दिव्यांगजनों से भरे जायेगें। उक्त चार प्रतिशत में से कम से कम एक प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थी जो (1) अंधे एवं निम्न दृष्टि के हो (2) बधिर एवं श्रवण शक्ति मे हरास हों। (3) चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त पुष्ट, बौनापन, तेजाब आक्रमण पीड़ित, पोलियाग्रसित हों। (4) एक प्रतिशत ऐसे दिव्यांगजनों को जो स्वपरायणता, बौधिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिनियम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता हों।**

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

11/07/19

.....3.....

contd.

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(19)

19–अधिनियम की धारा–38 के प्राविधानों के तहत ऐसे दिव्यांगजन छात्र जो दिव्यांगता की अधिसीमा पर हों उनके लिए यथानुसार विशेष प्राविधान किये जांय।

20–अधिनियम की धारा–39 के प्राविधानों के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा समय–समय पर जागरूकता अभियान चलाए जायें।

21–अधिनियम की धारा–44 के प्राविधानों के तहत **यदि कोई भी बिल्डिंग प्लान केन्द्र सरकार के धारा–40 के अनुरूप न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति न दिया जाय।**

22–अधिनियम की धारा–45 के प्राविधानों के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागू किये जाने के पाँच वर्ष के भीतर सभी भवनों (विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों) को केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार सभी विद्यमान शैक्षणिक भवन सुगम्य बनाए जायेंगे।

23– अधिनियम की धारा–47 के अनुपालन के क्रम में **विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजन से सम्बन्धित सामग्री शामिल की जाय** तथा खेल प्राध्यापकों को दिव्यांगजन को विकसित करने हेतु प्रशिक्षित किया जाय जिससे सामुदायिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें।

24–अधिनियम की धारा–76 के अनुपालन के क्रम में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन अधिकार द्वारा कोई भी निर्देश जो कि दिव्यांगजन से सम्बन्धित हो का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाय तथा साथ ही साथ दिव्यांगजन से सम्बन्धित किसी भी जाँच जो कि उनके अधिकारों के संरक्षण में हो इत्यादि का स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्सम्बन्धी कृतकार्यवाही से मुख्य आयुक्त को अवगत करायेगें।

25–अधिनियम की धारा–81 के अनुपालन हेतु जब भी राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अधिकार द्वारा किसी भी प्राधिकारी को दिव्यांगजन के अधिकारों के अतिक्रमण उनसे सम्बन्धी अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों तथा विधिक मामलो के संदर्भ में कोई भी निर्देश जारी किये जाँय तो उसकी अनुपालन आख्या तीन माह के अन्दर अनिर्वाय रूप से राज्य आयुक्त दिव्यांग अधिकार को प्रेषित किया जाय।

26–अधिनियम की धारा–89 के अनुपालन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जाने की स्थिति में रू0 10,000/–(रू0 दस हजार) तक का जुर्माना एवं उसकी पुनरावृत्ति होने पर कम से कम रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार) एवं अधिकतम रू0 5,00,000/–(रू0 पाँच लाख) तक का जुर्माना किये जाने का प्राविधान है।

27–अधिनियम की धारा–91 के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति धोखे से दिव्यांगजन को दिये जाने वाले किसी भी सुविधा का उपयोग करता है तो उसे 2 वर्ष तक के लिये जेल की सजा अथवा एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो से दंण्डित किया जायेगा।

28–अधिनियम की धारा–92 के अनुपालन हेतु दिव्यांगजन पर किये गये कोई भी अत्याचार यथा छींटाकसी, उपहास, अवमानना, क्रूरता करने की स्थिति में 6 माह का न्यूनतम कारावास, अधिकतम 5 वर्ष की जेल की सजा जुर्माने के साथ दिये जाने का प्रावधान है।

11/07/19

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

.....4.....

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

29–अधिनियम की धारा–93 के सम्बन्ध में दिव्यांगजन से सम्बन्धित किसी भी आवश्यक सूचनाओं को न मुहैया/उपलब्ध कराये जाने पर रू0 25000/–(रू0 पच्चीस हजार) का अर्थदण्ड तथा उक्त सूचना की निरन्तर अवहेलना करने पर प्रतिदिन रू0 1000/– (रू0 एक हजार) का जुर्माना देय होगा।

30–अधिनियम की धारा–94, 95 न्यायालय से सम्बन्धित है।

समिति सर्वसम्मति से यह संस्तुति करती है कि माननीय कुलपति जी के सहमति की दशा में समिति की सभी संस्तुतिओं को विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जांय तथा उक्त का अनुमोदन विधायी समितियों यथा प्रवेश समिति, विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाय।

11.07.19

(डॉ0 विजय प्रताप तिवारी)
सचिव

11/07/19

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
संयोजक

(डॉ0 विरेन्द्र विक्रम यादव)
अध्यक्ष

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह
सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ

Minutes of meeting

आज दिनांक 25/06/2021 को दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ की बैठक डी.एस.डब्लू (DSW) कार्यालय, सेकाय भवन में सम्पन्न हुयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1- प्रो. अजय द्विवेदी, संयोजक

2- डॉ० मनीष कुमार गुप्ता, सदस्य

3- डॉ० नुपुर तिवारी, सदस्य

4- डॉ. श्याम कन्हैया, सदस्य

बैठक में प्रकोष्ठ के निर्दिष्ट कार्यों के बारे में तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं को विश्वविद्यालय में प्रभावी ढ़ंग से लागू किये जाने हेतु विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। उक्त के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1- विश्वविद्यालय में दिव्यागों एवं वंचित समूह के सहायता हेतु एक हेल्प डेस्क की स्थापना हेतु कुलसचिव महोदय/कुलपति जी को एक पत्र प्रेषित किया जाना समीचीन है।

2- दिव्यांगजन एवं वंचित समूह के लिये समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि शासन द्वारा दिव्यांगजन एवं वंचित समूह के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु प्रभावी योजनाओं का विश्वविद्यालय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन किया जा सके।

3- दिव्यांगजन हेतु विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में यू.जी.सी. मानकों के वहत वांछित सुविधायें यथा रैम्प, पीने का पानी, शौचालय, ब्रेल लिपि इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष को पत्र निर्गत किया जाना चाहिए जिससे कि निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा सके।

4- वि.वि. स्तर पर समस्त दिव्यांगजन एवं वंचित समूह का डाटा बैंक तैयार किया जाये तथा साथ ही साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों का डाटा बेस AISHE के माध्यम से प्राप्त कर ली जाये जिससे की दिव्यांगजन एवं वंचित समूह की समस्त सूचनाएं एक जगह एकत्र रहे जिससे उ.प्र. शासन

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

contd.

~~एवं~~ भारत सरकार द्वारा उक्त संभाग को दी जाने वाली वांछित लाभदायी योजनाओं से उन्हें समयान्तर्गत उक्त का लाभ प्राप्त हो सके।

5- बैठक में सर्व ~~सम्मती~~ वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान जिन छात्रों को राइटर (Writer) की आवश्यकता मॉंगी जाने पर वि. वि. परिनियमावली में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत उन छात्रों को नियमानुसार उनका लाभ प्राप्त हो सके। प्रश्नगत कार्यवाही परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

6- विवि. परिसर स्थित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक तथा समस्त भवनों हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं शासनादेशों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार समस्त भवनों (छात्रावासों सहित) मानक के अनुरूप यथा रैम्प, शौचालय, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था ~~[illegible]~~ किये जाने हेतु भवनों का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त संन्दर्भित कार्य कराये जाने का सहायक कुलसचिव विकास एवं विकास अनुभाग को निर्देशित करना समीचीन होगा। कार्यवाही कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (विकास)

7 :- दिव्यांगजन को वि.वि. एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों ~~में प्रवेश~~ (राजकीय एवं अनुदानित) मे प्रवेश हेतु दिव्यांगजन अधिनियम की धारा-32 के प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगजन हेतु कम से कम पाँच प्रतिशत (5%) सीट आरक्षित की जायेगी तथा ऐसे छात्रों को प्रवेश हेतु उच्च आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट भी प्रदान की जायेगी।

25/09/21

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

विभाग

पत्रावली संख्या .....

टिप्पणी तथा आदेश:

कुलसचिव जी / मा0 कुलपति महोदया

कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2021 में दिव्यांगजन एवं वंचित समूह के सहायतार्थ योजना के प्रचार प्रसार हेतु संकाय भवन स्थित डी0एस0डब्लू कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुयी, उक्त बैठक में सात बिन्दुओं पर निर्णय किया गया जो निम्नवत है:-

1-दिव्यांगजन एवं वंचित समूह की सहायता हेतु **हेल्प डेस्क** की स्थापना किया जाना।

2-उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन एवं वंचित समूह के लिए सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु **कार्यशाला** के माध्यम से उक्त योजनाओं क लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

3-केन्द्रीय पुस्तकालय में यू0जी0सी0 मानकानुसार दिव्यांगजन हेतु रैम्प, पीने क पानी, शौचालय, एवं ब्रेललिपि की व्यवस्था।

4-विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में दिव्यांगज एवं वंचित समूह में अध्ययनरत छात्रों का AISHE के माध्यम से डाटाबेस तैया किया जाय जिससे उ0प्र0 शासन की योजनाओं का लाभ संदर्भित छात्रों को प्रा हो सके।

5-विश्वविद्यालय में होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में writer विश्वविद्यालय परिनियमावली की व्यवस्थानुसार जो छात्र माँगे उन्हें नियमानुसार दिया जाना समीचीन होगा।

6-विश्वविद्यालय के प्रशासनिक / शैक्षणिक / छात्रावासों के भवनों में मानक के अनुरूप स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, पीने का पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था किया जाना समीचीन होगा।

7-दिव्यांगजन के विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्याल में प्रवेश हेतु 5% सीट आरक्षित किये जाने एवं आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा-32 में प्राविधान है, उक्त का लाभ दिया जाना समीचीन होगा।

कृपया उक्त के अनुपालन में अनुरोध है कि बैठक की कार्यवाही अनुमोदित करने एवं सातों प्राविधानों को पृथक-पृथक विभागों के माध्यम से ल कराये जाने की अनुमति देना चाहें जिससे प्रश्नगत संदर्भ में कार्यवाही सम्पादि की जा सके।

संलग्नक: बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति।

29/10/'21

प्रो0 अजय द्विवेदी
संयोजक दिव्यांगजन समिति

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur